



लोक सूचना अपीलिय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/55/2018 (सू.अ.)

पंजीयन दिनांक:- 16.07.2018

श्री गंगाधर सोलंकी पिता मांगीलाल सोलंकी निवासी 91 न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

निर्णय

दिनांक 31.07.2018



सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन क्रमांक 157 दिनांक 05.06.2018 को स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 55/2018/(31.07)/716 दिनांक 16.07.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.07.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 31.07.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जरिये पत्रांक 216 दिनांक 31.07.2018 से अपना पक्ष रखा कि उसे वांछित सूचना आदिनांक तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचना दिलाने की कृपा करें। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक अपने कमेंट्स प्रस्तुत नहीं किये।



प्रकरण संख्या 55/2018 (सू.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 157 दिनांक 05.06.2018 से जिले में वर्तमान आवंटित उचित मूल्य दुकानदारों की संख्या, बी. पी. एल. विकलांग को उचित मूल्य दुकान आवंटन की ब्लॉक वाईज सूची जिसमें बी. पी. एल. विकलांग के ग्राम का नाम आवंटी का नाम पिता एवं विकलांगता का प्रकार संबंधी सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, जो उसे उपलब्ध नहीं कराना खेदजनक है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जाते हैं।



(इन्द्रजीत सिंह)

आई.ए.एस.

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 55 / 2018(सू.अ.) /

दिनांक:- / / 2018

प्रतिलिपि:-

1. लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़
2. श्री गंगाधर सोलंकी पिता श्री मांगीलाल जी सोलंकी निवासी 91 न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)